

# सारथी

APO फाउंडेशन बैच-5  
(हिंदी माध्यम)



बैच प्रारंभ 25 जून 2026

# पाठ्यक्रम में शामिल राज्य

1. उत्तर प्रदेश
2. राजस्थान
3. मध्य प्रदेश
4. छत्तीसगढ़
5. बिहार
6. उत्तराखंड



# पाठ्यक्रम में शामिल विषय



मुख्य एवं सहायक कानूनों के साथ सामान्य विधिक प्रावधान

सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक ज्ञान

माध्यम: हिंदी

\*कुछ कक्षाएँ रिकॉर्डेड रूप में भी उपलब्ध रहेंगी

# कोर्स का विवरण

कवर किए गए राज्य	6
वैधता	2 साल
लाइव एवं रिकॉर्डेड कक्षाएँ	✓
हस्तलिखित नोट्स	✓
दैनिक बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)	✓
प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज़	✓
समसामयिक घटनाएँ शामिल	✓
साक्षात्कार की तैयारी*	✓
मार्गदर्शन	✓
मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन	✓

# Our Faculty



**Pranjali Singh**

- LL.B., LL.M., Ph.D (Pursuing)
- Chancellor Gold Medalist
- 7 years of teaching experience



**Nishank Agrawal**

- 5+ years of Experience
- LL.B. & LL.M. (Criminal Law)
- 1000+ Students Mentore
- UGC-NET (Law) Qualified (Twice)



**Rekha Rathore**

- LL.B., LL.M.
- 8 years teaching experience
- UGC-NET (Law) Qualified



**Deeksha Choudhary**

- B.A. LL.B. (Hons.)
- LL.M.
- NLU LKO
- 5 years + teaching Experience



**Shashank Yadav**

- 7+ Years of Teaching Experience
- LL.M. (Constitutional Law)
- Mentored 1000+ Students for Judiciary and CLAT Exams



**Amit Anand**

- B.A. LL.B. (Hons.)
- 5+ Years of Teaching Experience
- 5000+ Students Mentored



**Muskan Kesharwani**

- B.A. LL.B. (Hons) , CS
- Exams Qualified: UPPCSJ Interview, MPCJ Mains, Delhi Judiciary Mains



**Kajol Sharma**

- M.A. (ECONOMICS)
- LL.B.
- 5+ yrs of Teaching Experience



**Abhishek Bhatt**

- LL.B. & LL.M.
- Ph.D. Scholar (Technology Law & AI)
- 5+ Yrs of Teaching Experience
- UGC-NET (Law) Qualified


# Hand Written Notes in Hindi

## धारा - 179 BNSS

जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरूद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण धारा 58 द्वारा निम्न 24 घंटों में पूरी नहीं किया जा सकता तो अभियुक्त को अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी जो अपनी शक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है तो वह निरूद्ध मजिस्ट्रेट को मामले में विहित दायरी की संबंधित प्रतीष्टियों की एक प्रतिलिपी के साथ अभियुक्त की मजिस्ट्रेट के पास भेजना

3. मजिस्ट्रेट अभिरक्षित व्यक्ति को 30 दिनों के अंदर से आगे के लिए उचित प्रावधान कर सकता है जिसमें न गणना है कि ऐसा कि कि पर्याप्त विद्यमान है किंतु कोई भी मामला धारा में दी हुई सम्भावना से अन्वेषण के दौरान अभियुक्त को कर सकता

→ 30-दिन, यदि अपराध का कारण 10 वर्ष की अवधि से दणनीय है।  
60 दिन, अन्य अपराध



## धारा 38: गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार से मिलने का अधिकार

→ गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान चुने हुए वकील से मिलने का सुरक्षित है। हालाँकि, यह अधिकार पूछताछ के दौरान पूर्ण अधिकार तक सीमित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त हो और साथ ही पुलिस को प्रभावी ढंग से पूछताछ करने की अनुमति प्रवर्तन की माँगों और निष्पक्ष बचाव की आवश्यकता के बीच समझौते

## धारा 39: नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी

→ जब कोई व्यक्ति जिसने असंज्ञेय अपराध किया है या करने का संदेह छुपाता है या भ्रामक जानकारी देता है, तो इसे धारा 39 के अधीन आता है का वास्तविक नाम का पता लगाने के लिए, पुलिस अधिकारी उसे चुन सकता है। व्यक्ति के वास्तविक नाम और निवास स्थान की पुष्टि हो जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, तथा यदि आवश्यक हो तो मजि अनिवार्य होगा।  
→ यदि व्यक्ति भारत में नहीं रहता है, तो भारत में रहने वाले जमानतदा होगी। यदि एक दिन में सही पहचान निर्धारित नहीं की जा सकती है या यह से इनकार करता है, तो उन्हें तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले निकटतम मजिस्ट्रेट यह खंड सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति सटीक जानकारी देने से इनकार करे हैं, साथ ही न्यायिक निगरानी के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा भी

## धारा 40: प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया

## गिरफ्तारी व्याख्यान: 46

### धारा 35

**परिचय**

→ गिरफ्तारी अपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह कानून प्रवर्तन एजेंटों को उन लोगों को हिरासत में लेने की क्षमता प्रदान करती है जिनके बारे में उनका मानना है कि वे अपराध कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, निगरानी में रखने या कानूनी संरक्षण में रखने का कार्य है, जब यह माना जाता है कि उसने कोई अपराध किया है। शब्दकोशों के अनुसार "गिरफ्तारी" की परिभाषाओं में "निष्क्रिय करना", "रोकना", "अचानक और आकर्षक ढंग से पकड़ना" या "कानून के अधिकार द्वारा हिरासत में लेना या हिरासत में लेना" शामिल हैं। सामान्य तौर पर, गिरफ्तारी की परिभाषा किसी व्यक्ति की गतिविधि को समाप्त करना है।  
→ हर मामले में पुलिस अधिकारी को तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षण करनी होती है और तय करना होता है कि वह गिरफ्तार करेगा या नहीं। अगर उसे गिरफ्तार नहीं भी किया जाता है तो भी बीएनएस की धारा 179 का नोटिस जारी करके उचित अन्वेषण की जा सकती है।

→ संज्ञेय अपराध जिसके लिए सात साल की सजा हो सकती है (खंड c): यदि किसी पुलिस अधिकारी को विश्वसनीय जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए अधिकतम सात साल की जेल या मृत्युदंड की सजा हो सकती है, तो अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। दी गई जानकारी के आधार पर, अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है।  
→ उद्घोषित अपराधी (खंड d): बिना वारंट के, किसी ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया जा सकता है जिसे संहिता या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया हो।  
→ संदिग्ध चोरी की संपत्ति का कब्जा (खंड e): यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज पाई जाती है जो संभवतः चोरी की गई है, और इस बात की उचित संभावना है कि उसने उस वस्तु से संबंधित कोई अपराध किया है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।  
→ पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा डालना या अभिरक्षा से भागना (खंड f): जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी के कर्तव्य निष्पादन में बाधा डालता है या विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग जाता है या भागने का प्रयास करता है, उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।  
→ सशस्त्र बल से अभिव्याजक (खंड g): कोई भी व्यक्ति जो संघ के किसी भी सशस्त्र बल से अभिव्याजक होने का उचित संदेह हो, उसे अभिरक्षा में लिया जा सकता है।

# Our Price

Price: ~~₹24,999~~

₹11,999

